न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ (चूरू)

पीठासीन अधिकारी–श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 13 / 2024
निर्णय दिनांक –०५.09.2024
GCMS No.- 2024/23

लक्ष्मणराम पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी हरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

..................वादी

बनाम

1. गिरधारीलाल पुत्र अगराराम जाति जाट निवासी हरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. श्यामलाल पुत्र अगराराम जाति जाट निवासी हरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)
3. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पडिहारा तहसील रतनगढ़ जिला चूरू(राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ (चूरू)

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत एक्स में संशोधन
अन्तर्गत धारा 92 राज काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–
1. डूंगरसिंह एडवोकेट वादी।
2. कैलाश गुलेरिया एकवोकेट प्रतिवादी।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राज पैरोकार राज।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम हरासर तहसील सुजानगढ़ के खाता संख्या 356 खसरा संख्या 690 / 470 रकबा 3.0348 हैक्टेयर में वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी ने हनुमानाराम पुत्र लिछमणराम व रामूराम पुत्र गिरधारीराम जाति आचार्य निवासीगण हरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू से उनके खातेदारी कब्जा, कश्ता, उपभोग का खेत खसरा संख्या 470 तादादी 31 बीघा 18 बिश्वा वाके रोही ग्राम हरासर में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08.1988 के द्वारा 12 बीघा भूमि निम्न आसे पासे की खरीद की थी–

उतर खेत पन्नाराम बिडदाराम वगैरह पि. लादूराम जाट खिलेरीव मोटाराम पुत्र डेलूराम जाट खिलेरी

दक्षिण में बाकी मांदा खेत खसरा संख्या 470 मिन 19 बीघा 18 बिश्वा

पूर्व में खेत मोटाराम पुत्र डेलूराम व रामेश्वर पुत्र पोकरराम जाट

पश्चिम में बाकी मांदा खेत खसरा संख्या 470 मिन 19 बीघा 18 बिश्वा

उपरोक्त आसे पासे की खरीद शुदा भूमि की खातेदारी वादी के नाम जरिये नामान्तरण 214 दिनांक 30.10.1988 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में 12 बीघा भूमि की खातेदारी अंकित हुई जो वादी के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग, में चली आ रही है।

खेत खसरा नं. 470 मिन 19 बीघा 18 बिश्वा भूमि खातेदार हनुमानाराम पुत्र लिछमणराम व रामूराम पुत्र गिरधारीराम जाति आचार्य निवासी हरासर से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.05.1990 के द्वारा खरीद की जिसकी खातेदारी प्रतिवादी 01 व 02 के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 242 दिनांक 23.05.1990 के द्वारा 19 बीघा 18 बिश्वा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड की खातेदारी अंकित हुई जो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग, में चली आ रही है।

प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अपने संयुक्त खातेदारी की खसरा नं. 470 मिन 19 बीघा 18 बिश्वा वाके रोही हरासर का आपसी सहमती से संयुक्त खातेदारी का आपस में विभाजन जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ के समक्ष दिनांक 28.09.2005 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने पटवारी से दिनांक 28.09.2005 को रिपोर्ट मंगवाई, पटवारी हल्का ने

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

राजस्व एक्स में उतरी ओर प्रतिवादी संख्या 02 के 09 बीघा 19 बिश्वा व दक्षिणी ओर प्रतिवादी संख्या 01 के 09 बीघा 19 बिश्वा भूमि दर्शा कर तहसीलदार सुजानगढ़ के समक्ष रिपोर्ट पेश की तहसीलदार सुजानगढ़ ने प्रतिवादी संख्या 01 के नाम 691/470 मिन 09 बीघा 19 बिश्वा एवं प्रतिवादी संख्या 02 के नाम 691/470 मिन 09 बीघा 18 बिश्वा बिभाजन स्वीकृत किया जिसकी पालना में पटवारी हल्का हरासर ने नामान्तरण संख्या 674 भरकर पेश किया जो दिनांक 18.10.2005 को स्वीकर किया जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खसरा नं. 881/691 तादादी 2.5163 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 02 के नाम खसरा नं. 882/691 तादादी 2.5163 हैक्टेयर की खातेदारी अंकित की तथा राजस्व एक्स में वादी की खातेदारी उतरी पूर्वी कूंट के स्थान पर कटाणी रास्ता से उतरी ओर खसरा नं. 690/470 गलत रूप से दर्शायी इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वो अपनी खरीदशुदा भूमि खसरा नं. 690/470 तादादी 3.0348 हैक्टेयर भूमि उतरी पूर्व कूंट में स्थित है का राजस्व एक्स में अंकन किया जाकर एक्स में संशोधन करावें जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है।

वादी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 690/470 तादादी 3.0348 हैक्टेयर के चिपते ही पश्चिमी ओर की भूमि प्रतिवादी संख्या 02 श्यामलाल की हिस्से पांति का खेत खसरा नं. 882/691 तादादी 2.5163 हैक्टेयर एवं वादी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 690/470 तादादी 3.0348 हैक्टेयर के चिपते ही दक्षिणी ओर की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारी लाल के पांति का खेत 881/691 तादादी 2.5163 हैक्टेयर स्थित है जो राजस्व एक्स में मुताबिक कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग, के अनुसार संशोधन किया जावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 व 02 से मौखिक रूप से दिनांक 31.12.2023 को निवेदन किया कि राजस्व एक्स में मुताबिक कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग, के अनुसार संशोधन करावें।

परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने राजस्व एक्स ने संशोधन कराने से साफ इन्कार कर दिया। वादी खेत खसरा नं. 690/470 का रिकॉर्डेड खातेदार है इसलिए वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा दिनांक 31.12.2023 को इन्कार होने से वादी को वाद हेतु प्राप्त है।

अतः उक्तानुसार राजस्व एक्स में संशोधन किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 02 की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकाम पेश होने पर उसके वारिसान 2/1 से 2/4 आनन्द कुमार, सुनिता, छोटू, जमना देवी मय अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब दावा मय क्रोससूट प्रस्तुत कर वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकारते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया जाने पर कोई आपति नहीं होने का जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पांति में खेत खसरा नं. 881/691 तादादी 2.5163 हैक्टेयर भूमि वादी के खेत खसरा नं. 690/470 के दक्षिणी ओर चिपते ही आई हुई है एवं प्रतिवादीगण संख्या 2/1 ता 2/4 के हिस्से पांति में वादी के खेत खसरा नं. 690/470 के चिपते ही पश्चिमी ओर खेत खसरा नं. 882/691 तादादी 2.5163 हैक्टेयर भूमि हिस्से पांति में आई हुयी है जिसके राजस्व एक्स में संशोधन किये जाने का निवेदन किया। राज पैरोकार से जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी जो मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वादी लक्ष्मणराम के खेत खसरा नं. 690/470 के दक्षिणी तरफ हरासर, राजियासर रास्ता की ओर खसरा नं. 881/691 खातेदार गिरधारी लाल के कब्जा, काश्त का खेत है व खसरा 882/691 के खातेदार श्यामलाल का कब्जा, काश्त वादी लक्ष्मणराम के पश्चिमी तरफ होने की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुयी है। उभयपक्षकारान ने स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया। बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक सुनी गई। मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौके पर वादी

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

खेत खसरा नं. 690/470 उत्तरी पूर्वी कूंट में व प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारी लाल के हिस्से पांति का खेत खसरा नं. 881/691 वादी के खेत 690/470 के दक्षिणी तरफ है व प्रतिवादी संख्या 02 श्यामलाल के हिस्से पांति का खेत खसरा 882/691 वादी के खेत खसरा नं. 690/470 के पश्चिमी तरफ स्थित है। ऐसी स्थिति में वाद मुताबिक राजीनामा न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम हरासर तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा नं. 690/470 उत्तरी पूर्वी कूंट में व प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारी लाल के हिस्से पांति का खेत खसरा नं. 881/691 वादी के खेत 690/470 के दक्षिणी तरफ है व प्रतिवादी संख्या 02 श्यामलाल के हिस्से पांति का खेत खसरा 882/691 वादी के खेत खसरा नं. 690/470 के पश्चिमी तरफ स्थित है इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में संशोधन किया जावे। पटवारी हल्का फर्द मौका व नजरी नक्शा आदेश का भाग होगा। तदनुसार परचा डिकरी जारी हो। प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक ०५/०९/२०२५ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

बअदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़
बइजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

लक्ष्मणराम बनाम गिरधारीलाल आदि
दावा बाबत एक्स में संशोधन
मुकदमा न0 13 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....
..............हाजरी श्री डूंगरसिंह एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम हरासर तहसील सुजानगढ़ के खेत खसरा नं. 690/470 उतरी पूर्वी कूंट में व प्रतिवादी संख्या 01 गिरधारी लाल के हिस्से पांति का खेत खसरा नं. 881/691 वादी के खेत 690/470 के दक्षिणी तरफ है व प्रतिवादी संख्या 02 श्यामलाल के हिस्से पांति का खेत खसरा 882/691 वादी के खेत खसरा नं. 690/470 के पश्चिमी तरफ स्थित है इसी अनुसार राजस्व एक्स में संशोधन किया जावे। पटवारी हल्का फर्द मौका व नजरी नक्शा आदेश का भाग होगा। तदनुसार परचा डिकरी जारी हो। प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख05माह 09 2024

दस्तखत .... उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़
ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पबकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।